न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 324/2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. मीठालाल पुत्र लालराम जाति माली निवासी— मगरिया रोड़, मस्तान बावजी के सामने, सोजतसिटी तहसील— सोजत जिला— पाली।		01. सुन्दरी देवी पत्नी कानाराम 02. मदनलाल पुत्र कानाराम 03. सोहनलाल पुत्र कानाराम 04. दिनेश पुत्र कानाराम 05. मांगीलाल पुत्र भैराराम 06. लक्ष्मणराम पुत्र भैराराम 07. सीतादेवी पत्नी सोहनलाल 08. भगवानराम पुत्र सोहनलाल 09. मनीष पुत्र सोहनलाल 10. किरण पुत्री सोहनलाल 11. मंजु पुत्री सोहमनलाल तमाम जातियान— माली, निवासीयान— मगरीया बैरा, मस्तान बावजी के सामने, सोजतसिटी, तहसील— सोजतसिटी जिला— पाली। 12. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री लक्ष्मण मेघवाल अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री देवाराम परिहार अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 07/11/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बासनी तिलवाडिया तहसील सोजत में स्थित खसरा सख्या 185 रकबा 1.800 आई हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि में 01/02 हिस्सा प्रार्थी मीठालाल एवं अपार्थीगण संख्या एक से चार के पिता एवं पति का आया हुआ है तथा इसी अनुसार 01/02 में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत चार का हक का भौतिक रूप से मौके पर कब्जा काश्त है तथा शेष 01/02 हिस्से पर अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 11 का भी भौतिक रूप से मौके पर अलग अलग कब्जा काश्त है। प्रार्थी का 01/02 हिस्से में 01/04 हिस्सा मौके पर पारिवारिक मौखिक बंटवाडे के अनुसार कृषि भूमि का 01/04 हिस्सा पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ लम्बाई में मौके पर 01/04 हिस्सा स्थित है तथा प्रार्थी अपने हिस्से में लम्बे समय से मेहन्दी की फसल अवरोई, खुदाई, निवरोई, गुढाई वगैराह करता आ रहा है तथा मौके पर अपने हिस्से अनुसार खेती करता है। लेकिन अप्रार्थी संख्या एक लगायत चार पिछले दो महिने से लगातार प्रार्थी को तंग व परेशान करने लग गए है तथा बार बार कहने लगे कि तुम्हारे 01/04 की कृषि भूमि उतर दक्षिण के बीचो बीच में देगे तथा रास्ता अवरूद्ध करेंगे। इस प्रकार पिछले लम्बे समय से तंग व परेशान करते है तथा मेहन्दी की फसल में सुड़ इत्यादि करने पर भी आनाकानी कर रहे है तथा कभी कभार मौके पर मजदूरो से माठ वगैराह भी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

बिखेरवा देते है। बार बार कानूनी बंटवाडे का कहने पर भी नहीं मानते है तथा लड़ाई झगडा करने पर उतारू हो जाते है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है, प्रार्थी के कब्जा काश्त खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 185 रकबा 1.8000 हैक्टर किस्म मेहन्दी में से 01/04 हिस्सा मौके पर अलग से मौखिक बंटवाडा के अनुसार काबिज है। जिसमें समय समय पर प्रार्थी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि में खुदाई, निदाण, धोरा पाली, पेड़ इत्यादि लगाए है। अगर प्रतिवादीगण तमाम प्रार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि में दखलअंदाजी करते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक सरहद मौजा ग्राम बासनी लिवाडिया के वर्तमान खसरा संख्या 185 रकबा 1.8000 हैक्टर की भूमि में से 01/04 हिस्से की कृषि भूमि के प्रार्थी के हक हिस्से की कृषि भूमि व हिस्से की मेहन्दी की फसल में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी नौकर एजेन्ट से कराने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम परिहार ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण संख्या 05 से 12 बावजूद तामीली सूचना अनुपस्थित रहने पर दिनांक 18.12.2018 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 को बार बार जवाब प्रार्थना पत्र पेश किए जाने का अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर दिनांक 07.11.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर समाप्त किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी ने यह राजस्व प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम बासनी लिवाडिया के वर्तमान खसरा संख्या 185 रकबा 1.8000 हैक्टर की भूमि में से 01/04 हिस्से की कृषि भूमि में तमाम अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि हिस्सा मेहन्दी में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी नौकर एजेन्ट इत्यादि से कराए जाने की ईस्तदुआ की है। जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र कपोलकल्पित व वर्णित तथ्यों को झुठा बताते हुए खारिज किए जाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वादस्थ भूमि सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। वस्तुतः पक्षकारों के हक अधिकार दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायत होकर/साक्ष्य उभयपक्ष रेकर्ड पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर विनिश्चय किया जावेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में अप्रार्थीगण यदि प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि हिस्सा मेहन्दी में किसी प्रकार की दखल अंदाजी करता है और किसी नौकर एजेन्ट इत्यादि से कराता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की सादिर की जाती है सरहद मौजा ग्राम बासनी लिवाडिया के वर्तमान खसरा संख्या 185 रकबा 1.8000 हैक्टर की कृषि भूमि में एक दुसरे के कब्जे काश्त में वाद निर्णय तक दखल अन्दाजी नहीं करने हेतु उभयपक्षों को वाद निर्णत तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 07/11/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)